फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री हुकमीदास पिता श्री मांगीदास वेरागी नि.(रठुजंणा) ग्राम पंचायत नेगडिया, पंचायत समिति, देलवाडा, जिला राजसमंद (राज0) — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमंद — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 09/2024**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 01.03.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमंद से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमंद से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमंद से जरिये क्रमांकः— एफ. 1()सू0अ0,05/प्र.अपील 09/2024/941 दिनांक 09.02.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 29.07.2023 को सूचना के अधिकार अधिनियम 05 के तहत जरिये डाक इस कार्यालय को 19.12.2023 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा चाही गई इप्सित सूचना का अवलोकन करने पर वांछित सूचना विशिष्टिविहिन होने से अधिनियम की धारा 6(1) बी के अनुसार चाही गई सूचना में विशिष्टियां अंकिन नही की गई एवं सूचना से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गए। इस कार्यालय के पत्रांक 826 दिनांक 20.12.2023 से प्रार्थी को सूचित किया गया कि विशिष्टियां अंकिन कर व सूचना से संबंधित कोई भी दस्तावेज या पत्रादि हो तो प्रस्तुत कर आवेदन करने का श्रम करे किन्तु इस कार्यालय के पत्र की पालना में प्रार्थी द्वारा कोई भी स्पष्ट विवरण संबंधी प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण से सूचना उपलब्ध कराना संभव नही है। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमंद एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमंद की रिपोर्ट के अनुसार वांछित सूचना के संबंध में स्पष्ट विवरण/ विशिष्टियां अंकित नही होने से तथा इस संबंध में अपीलार्थी को सूचित किये जाने से उक्त अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमंद को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** Sd/- **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)